न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, तारानगर (चूरू)

पीठासीन अधिकारी श्री राजेन्द्र कुमार (आर.ए.एस.)
अनुवान मांगुसिंह बनाम राजस्थान सरकार
प्रार्थना–पत्र संख्या – 360/2025
निर्णय दिनांक ...09/09/2025...

मांगुसिंह पुत्र दुलसिंह जाति रावणा राजपूत निवासी चंगोई तहसील तारानगर जिला चूरू।

–प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार तारानगर जिला चूरू।

–अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट

–::निर्णय::–

प्रार्थी द्वारा तहसीलदार तारानगर के समक्ष एक प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि प्रार्थी की जाति राजस्व रिकॉर्ड कृषि भूमि रोही मौजा चंगोई तहसील तारानगर के खाता संख्या 319 खसरा सं. 752/104 तादादी 7.6502 हैक्ट., में प्रार्थी की जाति दरोगा है। अतः प्रार्थी अपनी जाति राजस्व रिकॉर्ड में दरोगा के स्थान पर रावणा राजपूत अंकित किये जाने की कृपा करावें। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के संबंध में तहसीलदार तारानगर के पत्रांक राजस्व./2025/1019 दिनांक 08.07.2025 द्वारा जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई। मुताबिक जांच रिपोर्ट के प्रार्थी की जाति रावणा राजपूत जो कि सम्मानजनक है जो सही है। अतः कृषि भूमि रोही मौजा चंगोई तहसील तारानगर के खाता संख्या 319 खसरा सं. 752/104 तादादी 7.6502 हैक्ट., में प्रार्थी की जाति दरोगा के स्थान पर सम्मानजनक जाति रावणा राजपूत किया जाना उचित है

तहसीलदार तारानगर से प्राप्त होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार तारानगर से प्राप्त जांच रिपोर्ट में पटवार हल्का ने प्रार्थी की जाति दरोगा के बजाय रावणा राजपूत करना अंकित किया है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। तहसीलदार तारानगर की रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी की जाति रावणा राजपूत पायी जाती है। राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी की जाति दरोगा अंकित है। नाम में भिन्नता से प्रार्थी को परेशानी होना सम्भव है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा कृषि भूमि रोही मौजा चंगोई तहसील तारानगर के खाता संख्या 319 खसरा सं. 752/104 तादादी 7.6502 हैक्ट.,के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज प्रार्थी की जाति दरोगाा **Delete** कर इसके स्थान जाति रावणा राजपूत अंकित कर राजस्व रिकॉर्ड में दुरुस्ती के आदेश दिये जाते है तथा शेष राजस्व रिकॉर्ड यथावत रखा जाए। न्यायालय का यह निर्णय अपीलीय है। निर्णय की प्रति तहसीलदार तारानगर को राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद हेतु भिजवाई जावे। पत्रावली फैसला शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक ..09/09/2025.. को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी तारानगर (चूरू)

Rajendra

(राजेन्द्र कुमार आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
तारानगर (चूरू)

Scanned with OKEN Scanner